राजस्व वाद 108 / 2021
जीसीएमएस नंबर–2021 / 242
महावीर प्रसाद बनाम् भंवरी वगैरह

– : : आदेश : : –

यत् वादी का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा खिंयाला के खेत खसरा नंबर 998 रकवा 1.1331 हेक्टर व खसरा नंबर 1084 रकबा 0.8337 हैक्टेयर व खसरा नंबर 2440/1084 रकवा 0.6475 हैक्टेयर भूमि का बंटवाड़ा पक्षकारान् के मध्य माफिक वादपत्र, कांउटर क्लेम प्रतिवादीगण एवं साक्ष्य सबूत एवं ईकबालिया जबाब के अनुसार हम वादी का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादी महावीर प्रसाद के हक बंट कब्ता काश्त खातेदारी में मौजा खिंयाला का खेत खसरा मूल खसरा नंबर 1084 के वर्तमान खसरा नंबर 1084 रकबा 0.8337 हैक्टेयर व खसरा नंबर 2440 /1084 रकबा 0.6475 हैक्टेयर रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 भंवरी के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा खिंयाला का खेत खसरा नंबर 998 रकबा 1.1331 हेक्टर में से 0.6474 हेक्टर अर्थात चार बीघा उत्तरी पूर्वी व पश्चिमी हिस्सा नजरी नक्शा अनुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादीगण संख्या 2 से 5 कमश मनोज ,लीला , श्रवण, सुरेश के हक बंट कब्जा काश्त एवं सहखातेदारी में मौजा खिंयाला का खेत खसरा नंबर 998 रकबा 1.1331 हेक्टर में से 0.4856 हेक्टर अर्थात 3 बीघा दक्षिणी पूर्वी हिस्सा माफिक नजरी नक्शा अनुसार सहखातेदार घोषित किये जाते हैं।
4. वाद पत्र में संलग्न नजरीनक्शा निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
5. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। जो कि यथावत बैंक के रहन रहेंगें। (रहन की स्थित में)

निर्णय आज दिनांक 29.12.23 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

Scanned with CamScanner